

दस किलो अफीम के साथ दो नेपाली गिरफ्तार

संदेश ब्यूरो

श्रावस्ती। जिले की पुलिस ने बीती रात दस किलो से अधिक अफीम के साथ दो नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नेपाली नागरिकों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बरामद अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 33 लाख से अधिक अंकों का रही है।

जानकारी के अनुसार थाना सिरसिया प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, स्वाट टीम प्रभारी राणा विशाल प्रताप सिंह व एसएसबी के एसएसबी भूपाल सिंह अपने अपने टीम के साथ संयुक्त रूप से भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग कर रहे थे।

इसी दौरान एक टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो नेपाली नागरिक मादक पदार्थ की खेप लेकर नेपाल से भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना को गम्भीरता



पुलिस गिरफ्तार में नेपाली नागरिक व प्रेसकर्ता करती एसपी।

● बरामद अफीम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 33 लाख रुपये से अधिक

पूर्वक लेते हुए संयुक्त टीम और सक्रिय हो गई।

इसी बीच पदार गड़ गांव के होलिका दहन स्थल के पास दो संदिग्ध नेपाली नागरिक आते दिखाई

दिए, जिनमें टीम ने पकड़ कर तलाशी ली तो उनके कब्जे से 10 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद हुआ।

जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 33 लाख रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

गिरफ्तार तस्करों की पहचान खीरबहादुर मल्ला पुत्र स्व. नरबहादुर मल्ला निवासी वार्ड नंबर

श्रावस्ती स्थित भारत नेपाल की खुली सीमा पार कर शिमला पहुंचाना था अफीम की खेप

श्रावस्ती। 10 किलो 250 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार नेपाली नागरिकों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि भारत-नेपाल सीमा से करीब डेढ़ से किलोमीटर अन्दर नेपाल के जाजरकोट जन्मद में अफीम की खेती होती है। जहां से हम लोग अफीम खरीदकर श्रावस्ती स्थित भारत नेपाल की खुली सीमा के रास्ते हिमाचल प्रदेश के शिमला में ले जाकर किसी व्यक्ति को तीन लाख रुपये प्रति किलो की दर से बेचने वाले थे। शिमला में उनसे अफीम का खरीददार कौन है, इसका खुलासा नेपाली नागरिकों ने नहीं किया है। हालांकि श्रावस्ती पुलिस नेपाली नागरिकों से हर बिन्दु पर पूछताछ करने में जुटी हुई है।

टीम को एसपी ने दिया दस हजार का नगद पुरस्कार

श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने अफीम की खेप पकड़ने वाले पुलिस, स्वाट एवं एसएसबी टीम की तारीफ करते हुए उन्हें दस हजार रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। एसपी ने कहा कि पुलिस, स्वाट एवं एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा पर लगातार कड़ी निगरानी एवं अपने मजबूत मुखबिर तन्त्र के माध्यम से सीमा पार से होने वाले हर अवैध गतिविधि को नाकाम कर रहे हैं।

13 ग्राम गुरला थाना चीख जिला जाजरकोट राष्ट्र नेपाल व नरयण सिंह पुत्र स्व. मनबहादुर सिंह निवासी चालेकोट-8 खेपुखोला थाना सकला जिला जाजरकोट राष्ट्र

नेपाल के रूप में हुई है। सिरसिया पुलिस ने बरामदगी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।